







फर्द अहकाम
(नियम 15)

निर्णय
07.08.2024

2024/193

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
मन्शाराम बनाम हंसराज आदि
वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 263 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
12.06.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 13.06.2024 को पेश हो।</p> <p>कुलार् कसकन उपस्थित/PU माहक अमरगुल पत्रावली है। पत्रावली गारत तल्ब दिनांक 12.06.2024 का पेश हो</p>	
21.6.2024	<p>कुलार् फरिक्तेन उपस्थित/स्टर लखन शाह ने हाकिम एड. जितेड हुकम राह उपस्थित अमरगुल पत्रावली पेश किया जिसे हाकिम फरिक्तेन डिफाण्डा लखनकी वाले को तल्ब करी लखी आदि तारीख 20.6.2024 को पेश हो</p> <p>कुलार् कसकन उपस्थित/PU माहक अमरगुल पत्रावली है। पत्रावली गारत तल्ब दिनांक 20.6.2024 का पेश हो</p>	<p>मार्गि</p>  <p>कुलार् हनुमानगढ</p>
07.8.2024	<p>कुलार् फरिक्तेन उपस्थित/स्टर लखन शाह इशा बरस सुनी गरी। लखनकी का अक्लेकन डिफाण्डा लखनकी पर उपलब्ध डिफाण्डा व अक्लेकन की सहमति के आधार पर वाद वकी डिकी डिफाण्डा है। पूर्ण डिफाण्डा सहित निर्णय अलग से लिखा जाकर शसित फरिक्तेन डिफाण्डा लखनकी गारत से अमरगुल की जाकर वाद तरीक वकली ल लखन दखित दफतर हो।</p> <p>कुलार् कसकन उपस्थित/PU माहक अमरगुल पत्रावली है। पत्रावली गारत तल्ब दिनांक 07.8.2024 का पेश हो</p>	     <p>कुलार् हनुमानगढ</p>

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :-263/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

मन्शाराम पुत्र जीतसिंह जाति मेहतर निवासी नथौर तहसील व जिला सिरसा, हरियाणा।

-वादी

बनाम

1. हंसराज पुत्र जीतराम जाति मेहरतर निवासी बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ,राज0।
2. सोहनलाल पुत्र जीताराम जाति मेहतर निवासी नथौर तहसील व जिला सिरसा।
3. कृष्ण कुमार पुत्र जीतराम जाति मेहतर निवासी नथौर तहसील व जिला सिरसा।
4. कान्ताराम पुत्र जीतराम जाति मेहतर निवासी नथौर तहसील व जिला सिरसा।
5. देवकौर पुत्री जीतराम पत्नी अग्नेजसिंह जाति मेहतर निवासी 43 एस.एस.डब्ल्यू. डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ,राज0।
6. मूर्ति देवी पुत्री जीतराम पत्नी प्रेमसिंह जाति मेहतर निवासी मौलवी बास डबली तहसील व जिला हनुमानगढ,राज0।
7. कमला पुत्री जीतराम पत्नी मंगासिंह जाति मेहतर निवासी मौलवी बास डबली तहसील व जिला हनुमानगढ,राज0।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व)पल्लू जिला हनुमानगढ,राज0।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री विनोदकुमार स्वामी वकील-वादी

श्री विनोद कुमार राहड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 7

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 8

निर्णय दिनांक:- 07-08-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बांगासर के खाता संख्या 83/79 के खसरा नम्बर 773/265 की 6.1840 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि व रोही मौजा बन्नासर के खाता संख्या 99/98 के खसरा नम्बर 430 की 3.7310 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 433 की 2.630 हैक्टेयर की कुल 6.3610 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा बारानी खातेदारी कृषि भूमि के वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07-08-2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर